न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10/ 2019 जिला सीकर

गिरधारी पुत्र स्व.डूंगाराम, जाति जाट, निवासीगण ढाणी लोच्छिब वाली, तन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

5. उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थन)
6. भूमिधारी तहसीलदार, कार्यालय श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
7. पटवारी हल्का, पटवार भवन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 10.7.2017

उपस्थित–

3. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
4. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक –24.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.7.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.3.19 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि ग्रम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2399, 2400, 2390, 2387, 2384, 2385, 2379, 2376, 2374, 2373, 2332 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्श ट्रेस के उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने की अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 10.7.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के अनयम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर

अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे ।

क्र.सं.	नम पटवार मण्डल	राजस्व ग्रम	खसरा नं.	रकबा	रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है ।
1	सरगोठ	सरगोठ	2399	0.39 हैक्टर	0.0280 हैक्टर
			2400	0.46 हैक्टर	0.0240 हैक्टर
			2390	0.22 हैक्टर	0.0200 हैक्टर
			2387	1.85 हैक्टर	0.0800 हैक्टर
			2384	1.29 हैक्टर	0.0640 हैक्टर
			2385	0.36 हैक्टर	0.0280 हैक्टर
			2379	1.76 हैक्टर	0.0520 हैक्टर
			2376	3.63 हैक्टर	0.0800 हैक्टर
			2374	0.07 हैक्टर	0.0320 हैक्टर
			2373	0.52 हैक्टर	0.0480 हैक्टर
			2332	5.61 हैक्टर	0.0560 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय 10.7.2017 निरस्त किये जाने तथा उक्त आदेश की पालना में की गयी समस्त कार्यवाही निरस्त फरमाते हुये पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं । वकील अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी में अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा एवं खसरा नं. 2385 रकबा 7.89 है0 व खसरा नं. 2336 रकबा 0.04 है0 में 1/12 हिस्सा है । अपीलांट्स एवं दीगर सहखातेदारों द्वारा उपरोक्त खसरा नं. की भूमियों का पूर्वकाल में बाह्मी बॅटवारा कर हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है । पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत सरगोठ के वर्तमान सरपंच के प्रभाव में आकर विवादित भूमि में पुराना एवं प्रचलित रास्ता नहीं होने के बावजूद गलत तथ्य अंकित करते हुए पुराना व प्रचलित रास्ता होने का प्रस्ताव तैयार कर भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रेषित किया है एवं तहसीलदार ने प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर गैर मुमकिन रास्ता कायम करने की अभिषंशा

की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट विवादित भूमि की सहखातेदार होने से हितबद्ध व्यक्ति है, लेकिन तहसीलदार द्वारा उसे बिना सुने गैर मुमकिन रास्ता कायम करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व खातेदारों के नोटिस विधिवत तामिल नहीं करवा कर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है । उनका कहना था कि अपीलान्ट एवं दीगर व्यक्तियों की विवादित भूमि में खातेदारी अंकित है जिन्हे बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने एवं उक्त आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में की गई समस्त कार्यवाही निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के समबंध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किये थे । खातेदारों में से खातेदार अपीलान्ट गिरधारी पुत्र डूंगाराम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था और आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत आपत्ति की थी कि उसे जारी नोटिस को निरस्त करके उसकी शामलाती भूमि खसरा नम्बर 2390, 2384, 2385, 2379 में से रास्ता निकाला भी जाता है तो उसके कुवे की भूमि खसरा नम्बर 2359 में भी कुवे तक रास्ता निकालने के आदेश फरमाये जावे । अपीलार्थी के उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार ने अपने पत्र कमांकः 1482 / राजस्व दिनांक 31.5.2017 द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की कि ग्रम सरगोठ के संदर्भित प्रसांगिक पत्र मेंवर्णित प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर चालू है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया , उचित प्रतीत नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने व मौके पर चालू होने की प्रेषित रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.7.2017 को पारित किया हैं । चूंकि अपीलान्ट की यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2017 के खिलाफ दिनांक 12.3.2019 का अर्थात करीबन 1 वर्ष 8 माह के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का संतोषजनक कारण भी बताने में असमर्थ रहे हैं। हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने व मौके पर चालू होने की अभिशंषा के आधार पर खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया हैं , जिसमें कोई विधिक त्रुटी होना प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर दिनांक 10.7.2017 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 9.9.2019 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जयपुर